

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26th अक्टूबर, 2010

(आयकर)

का.आ. जबकि केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया) की धारा 80 झ क की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 8 जनवरी, 2008 की का.आ.सं. 51(अ) के तहत भारत के राजपत्र, भाग-॥, खंड 3, उपखंड ii में प्रकाशित तथा दिनांक 2 जुलाई, 2008 की का.आ.सं. 1605(अ) के तहत संशोधित अधिसूचना द्वारा 1 अप्रैल, 2006 को शुरू होने वाली एवं 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना निर्मित एवं अधिसूचित की है ;

और जबकि मैसर्स नौएडा साइबर पार्क प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत पता 18, राउज एवेन्यू, कोटला लेन, नई दिल्ली-110002 में है, ने प्लॉट संख्या सी-28 एवं सी-29, सेक्टर-62, नौएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301 में एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है;

अतः अब आयकर नियमावली, 1962 के नियम 18 ग के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 80 झ क की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा औद्योगिक पार्क योजना, 2008 के उपबंधों के अधीन रहते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा मैसर्स नौएडा साइबर पार्क प्राइवेट लिमिटेड को एक उपक्रम के रूप में तथा उक्त उपक्रम द्वारा सी-28 एवं सी-29, सेक्टर-62, नौएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301 में विकसित अनुरक्षित एवं प्रचालित की जा रही परियोजना को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ एक औद्योगिक पार्क के रूप में अधिसूचित करती है।

2. उपर्युक्त औद्योगिक पार्क को 11 जून, 2010 से विकसित हुआ माना जाएगा।

3. यह अधिसूचना लागू नहीं होगी यदि यह एक ऐसे औद्योगिक पार्क के अवस्थान के लिए जिसके लिए अधिसूचना पहले ही किसी अन्य उपक्रम के नाम पर जारी की जा चुकी है।
4. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना परियोजना की योजना में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[अधिसूचना संख्या 81/2009 फा.संख्या 178/29/2009-आ.क. नि.-1]

रमण चोपड़ा

(रमण चोपड़ा)

निदेशक, आ.क.नि.-1

सेवा में,

प्रबन्धक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के पास), नई दिल्ली।